न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः– 78/15 (RCMS No.2015/00057) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

रज्जाक पुत्र भागमल जाति मेव निवासी भण्डारा तहसील कांमा जिला भरतपुर

...........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कांमा

.............रैस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर के पत्रांक राजस्व/पुनर्वास /2000/2221दिनांक 16.08.2000 नामा0 सं0 1518 ग्राम भण्डारा तहसील कामां

उपस्थितिः–

1. श्री दीपक शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री उदयवीर कसाना राजकीय अभिभाषक

नि र्ण यदिनांकः–26.07.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर भरतपुर के पत्रांक/राजस्व/पुनर्वास/2000/2221 दिनांक 16.08.2000 वसिलसिले दाखिल खारिज सं0 1518 बाबत् ख0 नं0 1716 रकवा 0.19, 1718 रकवा 0.08 एवं 1773 रकवा 0.08 हैक्टेयर वॉके ग्राम भण्डारा तहसील कामां के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार कम मैनेजिंग आफीसर कामां ने अपीलान्ट को विवादित आराजी ख0 नं0 1716 रकवा 0.19, 1718 रकवा 0.08 एवं 1773 रकवा 0.08 हैक्टेयर वांके ग्राम भण्डारा तहसील कामां का आवंटन दिनांक 13.07.2000 को किया था। जिला कलक्टर भरतपुर के पत्रांक 2221 दिनांक 16.08.2000 से उक्त आराजी से संबंधित नामान्तरकरण को दर्ज नही करने के आदेश दिये हैं जैसाकि उपखण्ड अधिकारी कांमा के पत्रांक 2135 दिनांक 17.08.2000 जो तहसीलदार कामां को लिख कर कस्टोडियन भूमि के किये गये आवंटनों के नामान्तरकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने बाबत् लिखा गया है, से जाहिर हो रहा है। संबंधित पत्र की प्रति प्राप्त नही होने से बिना अपीलाधीन आदेश के अपील पेश की है।

विद्धान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि दिनांक 13.07.2000 को तहसीलदार कम मैनेजिंग आफीसर कामां द्वारा आराजी ख0 नं0 1716 रकवा 0.19, 1718 रकवा 0.08 एवं 1773 रकवा 0.08

हैक्टेयर वांके ग्राम भण्डारा का आवंटन अपीलान्ट को 400/—रूपये प्रति बीघा की दर से किया गया था जिसकी कीमत आदि अपीलान्ट के द्वारा जरिये चालान दिनांक 02.08.2000 को जमा करा दिये थे। इसके पश्चात दाखिल खारिज भरा गया था लेकिन उपखण्ड अधिकारी कामां ने अपने आदेश क्रमांक पीए./पुनर्वास/2000/2135 दिनांक 17.08.2000 की पालना में स्थगन है, की पालना का नोट लगा दिया गया और अपीलान्ट के दाखिल खारिज को तस्दीक नही किया गया जो कतई गलत व खिलाफ कानून है। जिला कलक्टर भरतपुर ने पत्र संख्या राजस्व /पुनर्वास/2000/2221 दिनांक 16.08.2000 की अनुपालना में एसडीओ कामां को निर्देशित किया गया कि आप तत्कालीन तहसीलदार कामां द्वारा कस्टोडियन भूमि के किये गये आवंटनों के नामान्तरकरण किसी भी स्थिति में तस्दीक न करें जो कतई गलत है। उक्त नोट की वजय से अपीलान्ट का दाखिल खारिज तस्दीक नही हो सका। उक्त आदेश प्रशासनिक आदेश है जिसका दाखिल खारिज तस्दीक करने के मामले में कोई असर नही होता है जो अपने आप में एवीनीसियो बाइड है। जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 16.08.2000 एवं उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 17.08.2000 की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर भरतपुर को दिनांक 16.02.06 को पेश किया जिस पर कलक्टर साहब के यहॉ से रिपोर्ट कर एसडीओ कामां व तहसीलदार कामां को लिखकर प्रार्थना पत्र भेज गये। जहॉ से असल प्रार्थना पत्र में नोट लगाकर कि तहसील कार्यालय में उपलब्ध नही है, कह कर लौटा दिया। इसके पश्चात अपीलान्ट ने सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र कलक्टर साहब भरतपुर एवं एसडीओ साहब कामां के यहॉ प्रस्तुत किये। जिन पर जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 27.09.2011 को यह लिखकर कि आदेश कार्यालय स्तर पर काफी तलाश कर लिया गया है परन्तु उपलब्ध नही हो पा रहा है और उक्त आदेश आपके कार्यालय से संबंधित है। उपखण्ड अधिकारी कामां को भेजकर वांछित आदेश के विरूद्व अपीलान्ट को नकलें नियमानुसार उपलब्ध कराने भेजी गई तथा एसडीओ साहब कामां ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को तहसीलदार कामां को दिया गया जिसको तहसीलदार कामां ने प्रति प्रमाणित कर अपीलान्ट को भेजी गई। इस प्रकार उक्त आदेशों की जिला कलक्टर भरतपुर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां के यहॉ कोई आदेश पत्रावली न होना लिखकर सूचित किया गया है। उनका तर्क है कि नामा0 पर स्थगन का नोट होने से तस्दीक नही हो रहा है। उक्त आदेशों की नकलों के लिये अपीलान्ट 2006 से ही लगातार कोशिश करता चला आ रहा है लेकिन अपीलान्ट के सारे प्रयासों के बाबजूद भी व सूचना के अधिकार की कार्यवाही करने के बाबजूद भी नकलें नही मिल सकी हैं। अतः अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर का पत्रांक 2221 दिनांक 16.08. 2000 निरस्त किया जाकर नामा0 तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश के बिना ही अपील पेश की है। इसलिये अपील चलने योग्य नही है। जिला कलक्टर ने दिनांक 16.08.2000 को नामान्तरकरण कस्टोडियन के होने से तथा आवंटन गलत तरीके से होने के कारण ही पत्र द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक नही करने का आदेश उपखण्ड अधिकारी को दिया था। उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार को उक्त पत्र का हवाला देते हुऐ नामान्तरकरण तस्दीक नही करने के निर्देश दिये थे। जिनमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी ख0 नं0 1716 रकवा 0.19, 1718 रकवा 0.08 एवं 1773 रकवा 0.08 हैक्टेयर वांके ग्राम भण्डारा तहसील कामां का आवंटन तहसीलदार कम मैनेजिंग आफीसर कामां ने अपीलान्ट को दिनांक 13.07.2000 को किया था। जैसाकि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण संख्या 1518 से जाहिर है। उक्त नामान्तरकरण के कालम नं0 14 में अंकित है कि ''आवंटन मुताविक आदेश तहसीलदार क्रमांक/पुर्न/671—672 दिनांक 31.07.2000 तहसीलदार कम मैनेजिंग

आफीसर कामां।'' उक्त नोट से यह तो जाहिर है कि अपीलान्ट को विवादित आराजी का आवंटन हुआ है। परन्तु आवंटन सही नही होने से या नियमानुसार नही होने से ही जिला कलक्टर भरतपुर के पत्रांक 2221 दिनांक 16.08.2000 से उक्त आराजी से संबंधित नामान्तरकरण को दर्ज नही करने के आदेश दिये हैं। जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारी को पत्र लिखा है और उपखण्ड अधिकारी ने नामान्तरकरण दर्ज नही करने बाबत् पत्र तहसीलदार कामां को लिखा है। जैसाकि उपखण्ड अधिकारी कांमा के पत्रांक 2135 दिनांक 17.08.2000 जो तहसीलदार कामां को लिख कर कस्टोडियन भूमि के किये गये आवंटनों के नामान्तरकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने बाबत् लिखा गया है, से जाहिर हो रहा है। जिला कलक्टर का आदेश उचित है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.08.2000 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official